विविध मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 67/2018 (RCMS 2018/00128) गुरमेल सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जट सिख निवासी चक 39 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. सुखपाल पुत्र दर्शन सिंह 2. दर्शन सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जटसिख निवासी चक ओडावली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 3. स्टेट जरिये तहसीलदार, श्रीकरणपुर 4. उपखण्ड अधिकारी, राजस्व श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>20.08.2018</u>

प्रार्थी की ओर से श्री रमेश कुमार, अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 01–सुखपाल सिंह एवं अप्रार्थी संख्या 02–दर्शन सिंह के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित हुए। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी गुरमेल सिंह की ओर से यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 22/2017 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर टी एक्ट एवं प्रकरण संख्या 16/2017 धारा 212 आरटीएक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई व निस्तारण हेतु मुंतकिल किये जाने के लिए पेश किया है। उनका आगे कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के पद पर नये पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है, इसलिए यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है। अतः इसे इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 22/2017 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर टी एक्ट एवं प्रकरण संख्या 16/2017 धारा 212 आरटीएक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई व निस्तारण हेतु मुंतकिल किये जाने के लिए यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी,

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीकरणपुर का पद रिक्त होने के कारण, उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को दिनांक 09.05.2018 को उपखण्ड अधिकारी, करणपुर के पद का चार्ज दिलाया गया था। अब चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के पद पर श्रीमती रीना छींपा, आर.ए.एस. की नियुक्ति हो चुकी है और उनके द्वारा दिनांक 30.07.2018 को अपने उक्त पद का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है और फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर स्वतः ही उक्त पद से मुक्त हो जाते है। इसलिए यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसे इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलेक्टर,
श्रीगंगानगर